न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

द पत्र सं :: 50/2012
सीएमएस सं0 :: 2012/00039

पप्पू पुत्र रिछपाल सिंह जाति जाट नि0 बरसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
– वादी,

बनाम

1. सतनारायण पुत्र हरबक्साराम जाति जांगिड़।
2. मोहनलाल पुत्र हरबक्साराम जाति जांगिड़।
3. रतनलाल पुत्र हरबक्साराम जाति जांगिड़।
4. मदनलाल पुत्र हरबक्साराम जाति जांगिड़।
5. भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जांगिड़।
6. केशरी देवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति जांगिड़ (नाम हजफ)
7. छीतरमल पुत्र धोलाराम जाति जाट

समस्त निवासीगण बरसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–. श्री सोहनलाल चौधरी वकील वादीगण की ओर से।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारण।

निर्णय दिनांक :: 21.08.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि वादी ग्राम बरसिंहपुरा तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर का स्थाई निवासी है और वादी व उसके परिवार की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 57 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 114 रकबा 0.49 है0 ख0नं0 115 रकबा 0.50 है0 ख0नं0 116 रकबा 0.49 है0 ख0नं0 117 रकबा 0.03 है0 ख0नं0 118 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 119 रकबा 1.28 है0 ग्राम बरसिंहपुरा प0ह0 लढाणा भू0अ0नि0 क्षेत्र पलसाना तहसील दांतारामगढ़, सीकर में अवस्थित है। वादी व उसके परिवार की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख0नं0 57 रकबा 0.06 है0 बा0 है अन्य भूमियां जो वाद पत्र के पैरा सं0 1 में वर्णित है, उनसे अलग जो सडक से दूसरी ओर अवस्थित है। वादी की कृषि भूमि ख0नं0 57 के पश्चिम उत्तर साईड में प्रति0सं0 2 का आरा मशीन का कारखाना है जो वादी की उक्त वर्णित कृषि भूमि को जबरन कब्जा कर के हड़पना चाहता है तथा प्रति0सं0 2 की नियत भाप कर उत्तर साईड में प्रति0सं0 7 की कृषि भूमि है, उसकी भी नियत खराब हो गई है। इस कारण प्रति0 सं07 भी वादी की कृषि भूमि ख0नं0 57 पर उत्तर साईड में कब्जा करने की कोशिश करने लग गया दिनांक 23.02.2012 को प्रति0सं0 1 ता 6 ने मिल कर एक राय होकर आये और वादी को ऐलानियां धमकी दी कि आप कृषि भूमि ख0नं0 57 रकबा 0.06 है0 भूमि या तो हमें विक्रय कर दो वरना हम इस भूमि पर जबरन कब्जा कर लेगें, क्योंकि उक्त जमीन हमारे कारखाने के लिए अति आवश्यक है। प्रतिवादीगण वादी

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

की कृषि भूमि ख0नं0 57 रकबा 0.06 है0 पर जबरन कब्जा कर अपने कारखाने में मिला लेगें व अपनी जमीन में मिला लिया तो वादी को इस कदर असीम हानि होगी, जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है कि वे वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 57 रकबा 0.06 है0 पर जबरन कब्जा करने खुर्द बुर्द करने से बाज रहे। वादी ने वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 7 की उप मद क, ख, ग अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया हे।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 ता 6 जरिये वकील उपस्थित आए। प्रतिवादी सं0 7 बावजूद रजिस्ट्रर्ड समन तलबी के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। प्रति0सं0 5 व 6 ने जवाब दावा पेश कर मद सं0 1 ता 4 गलत होने से अस्वीकार होना बताया मद सं0 5 व 6 जवाब की मोहताज नहीं है। विशेष उत्तर में निवेदन किया कि प्रति0सं0 5 के पिता व 6 के पति स्व0 रामेश्वरलाल उक्त ख0नं0 57 की भूमि जिसके साबिक ख0नं0 61 थे को वादी के दादा गोरूराम से जरिये बेचाननामा 900/– की राशि प्रतिफल के रूप में प्रदान कर आवासीय प्लाट के रूप में खरीदकर उसी समय प्लाट के दो तरफ डंडा निर्माण करवाया था। तब से ही उक्त आवासीय प्लाट ख0नं0 57 पर प्रति0सं0 5 व 6 क्रमशः के पिता व पति तथा उनके इंतकाल के बाद प्रति0सं0 5 व 6 काबिज होकर आवास निवास कर रहे है। चूंकि उक्त भूमि पर उस समय वादी के दादा गोरूराम के नाम से जमाबंदी में ऋण दर्ज होने से उक्त भूमि सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 सीकर के यहां रहन होने से उक्त का विक्रय पंजीयन पत्र प्रति0सं0 5 व 6 के पिता व पति स्व0 रामेश्वरलाल द्वारा नहीं करवाया जा सका था। प्रति0सं0 1 ता 4 का उक्त भूमि ख0नं0 57 से कोई लेना देना नहीं है। केवल मात्र प्रति0सं0 5 व 6 के परिवार के होने मात्र से हैरान व परेशान करने के उद्वेश्य मात्र से ही अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रति0सं0 5 व 6 का मौके पर अपने पिता व पति के जरिये दिनांक 17.11.86 से जरिये बेचाननामा कब्जा है। इस बात का पता वादी को प्रारम्भ से ही है। इस कारण वाद मियाद बाहर होने से खारिज किया जाने योग्य है। वाद पत्र में वर्णित भूमियों में पूर्व खातेदार वादी के दादा के फौत होने के बाद वादी के पिता के फौत होने के बाद वादी व अन्य वारिसान का भी उक्त भूमियों में जमाबंदी के अनुसार बराबर हिस्सा है। जिसका विधिवत बंटवारा वादीगण ने आज दिन तक नहीं करवाया है, जिससे यह कयास नहीं लगाया जा सकता कि किसको कौनसी भूमि मिलेगी। इस कारण वादी को स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली में दिनांक 11.11.24 को वकील प्रतिवादी एंव स्वंय प्रतिवादी साक्ष्य प्रतिवादी पेश करने के लिए नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

वाद में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमियां ख0नं0 57 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम बरसिंहपुरा उप तहसील पलसाना में स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अधिकारी है ? जिम्मे वादी
2. आया विवादित भूमियां आराजी ख0नं0 57 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम बरसिंहपुरा उप तहसील पलसाना में पूर्व खातेदार वादी के दादा व पिता के फौत होने के बाद वादी व अन्य वारिसान जगदीश, सुरेश, रामस्वरूप व रिछपाल की बेवा भागोती का भी उक्त भूमियों में जमाबंदी के अनुसार बराबर का हिस्सा है, जिसका विधिवत बंटवारा वादीगण ने आज दिन तक नहीं करवाया है। इस कारण वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण के किसी भी तरह की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का हक व अधिकार नहीं है ? जिम्मे प्रति0सं0 5 ता 6
3. अनुतोष ।

वादी ने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी 2040–43 की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र रामेश्वर लाल, फोटो प्रति खसरा मिलान, फोटो प्रति बेचाननामा, फोटो प्रति एफआईआर सं0 79/2012 एंव प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 31.08.23 न्यायालय सिविल न्यायाधीश, दांतारामगढ़ एंव प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 04.04.2019 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क0सं0 1 सीकर की प्रमाणित प्रति पेश किये।

साक्ष्य में वादी ने स्वंय का शपथ–पत्र, शपथ–पत्र रामस्वरूप पुत्र रिछपाल सिंह जाट नि0 बरसिंहपुरा तह0 दांतारामगढ़,सीकर

बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादी का वादी की जमीन से कोई लेना–देना नहीं है। इनको पाबन्द किया जावे। पप्पू के दादा ने रामेश्वरलाल को भूमि का बेचान कर दिया था। इसको लेकर प्रतिवादी सिविल कोर्ट भी गये थे, सिविल कोर्ट ने लिखावट को अमान्य कर दिया। वादी द्वारा निवेदन किया कि मुझे प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाना है। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी भी पेश नहीं किये गये है। माननीय सिविल कोर्ट ने जो आदेश पारित किये है, उसके विरूद्ध भी प्रतिवादी कहीं नहीं गये है। मेरा दावा डिक्री किया जावे।

तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार से है :–

1. आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमियां ख0नं0 57 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम बरसिंहपुरा उप तहसील पलसाना में स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अधिकारी है ? जिम्मे वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है, जिसमें संबंध में वादी दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 नजरी नक्शा खाता सं0 84 ग्राम बरसिंहपुरा की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत् 2067–70 ग्राम बरसिंहपुरा खाता संख्या 84 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–3 माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1 सीकर ।राज0। दीवानी विविध प्रकरण सं0 54/2013(44/2013)(सी.आई.एस.नं. 86/2015) उनवान केसरी देवी पत्नी स्वर्गीय रामेश्वर बनाम पप्पू पुत्र स्व0 रिछपाल में पारित आदेश

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

दिनांक 4.4.2019 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवायी गयी तथा मौखिक साक्ष्य में गवाह पप्पू पुत्र रिछपाल वादी स्वंय एंव रामस्वरूप पुत्र रिछपाल सह हिस्सेदार व भाई वादी द्वारा साक्ष्य में शपथ–पत्र पेश किये गये, जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गयी।

वादी द्वारा तनकी सं0 1 के संबंध में प्रस्तुत तथ्य इस प्रकार से है कि प्रदर्श 1 व 2 के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि ख0नं0 57 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम बरसिंहपुरा वादी व सह हिस्सेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि स्थित है। उक्त कथन में संबंध में प्रति0सं0 5 व 6 के द्वारा जवाब दावा के तहत कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि ख0नं0 57 पुराना ख0नं0 61 को वादी के दादा गोरूराम ने प्रति0सं0 5 के पिता व प्रति0सं0 6 के पति स्व0 रामेश्वरलाल ने जरिये बेचाननामा 900/– रूपये की राशि में क्रय कर ली थी। उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित नहीं किया गया है तथा वादी द्वारा अपनी खातेदारी तथा कब्जा काश्त को साक्ष्य में साबित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में निरन्तर चला आ रहा है। अतः प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी भूमि है, जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। उपरोक्त विवेचन एंव साक्ष्य के आधार पर तनकी सं0 1 बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है।

2. आया विवादित भूमियां आराजी ख0नं0 57 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम बरसिंहपुरा उप तहसील पलसाना में पूर्व खातेदार वादी के दादा व पिता के फौत होने के बाद वादी व अन्य वारिसान जगदीश, सुरेश, रामस्वरूप व रिछपाल की बेवा भागोती का भी उक्त भूमियों में जमाबंदी के अनुसार बराबर का हिस्सा है, जिसका विधिवत बंटवारा वादीगण ने आज दिन तक नहीं करवाया है। इस कारण वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण के किसी भी तरह की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का हक व अधिकार नहीं है ? जिम्मे प्रति0सं0 5 ता 6

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं0 5 व 6 पर है। परन्तु उनके द्वारा तनकी को सिद्ध करने के लिए ना तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये एंव ना ही साक्ष्य में शपथ–पत्र पेश किये। पत्रावली में सुनवाई दिनांक 11.11.24 को वकील प्रतिवादी एंव स्वंय प्रतिवादी साक्ष्य प्रतिवादी पेश करने के लिए नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। इस प्रकार तनकी सिद्ध न करने पर यह तनकी प्रतिवादी सं0 5 व 6 के खिलाफ तय की जाती है।

इस प्रकार से तनकी सं0 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है तथा तनकी सं0 2 प्रति0सं0 5 व 6 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि विवादित आराजी कृषि भूमि ख0नं0 57 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम बरसिंहपुरा उप तहसील पलसाना जिला सीकर पर कब्जा करने व खुर्द–बुर्द करने से सदैव के लिए बाज रहे। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

(कविता गोदारा)
आर0ए0एस0
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर